सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-24.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स०	"खगड़िया जिलान्तर्गत बी०पी० मंडल सेतु के निकट से कोशी नदी के उत्तरी किनारे से मधेपुरा जिला के आलमनगर अंचल के अधीन ग्राम-कपसिया, ग्राम-मुरौत, अंचल चौसा के ग्राम-फुलौत होकर नौगछिया अनुमंडल जिला भागलपुर के उत्तरी किनारे होकर कटिहार जिला के कुरसेला के निकट N.H.-31 के किनारे तक मुख्य कोशी के उत्तरी किनारे कोशी तटबंध का निर्माण अत्यावश्यक है । ऐसा होने पर हर वर्ष जिला खगड़िया, जिला मधेपुरा, जिला पूर्णियाँ, जिला भागलपुर, जिला कटिहार के किसानों की लाखों हेक्टेयर में लगी धान एवं मकई की फसल बाढ़ में डूबने से बचेगी तथा हजारों किलोमीटर की बनी सड़कें भी सुरक्षित रहेगी एवं जान माल की भी क्षति नहीं होगी । अत: मुख्य कोशी नदी के उत्तरी किनारे डुमरी घाट बी०पी० मंडल सेतु के निकट से कुरसेला तक N.H.-31 तक कोशी तटबंध निर्माण हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	जल संसाधन

2. श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० श्री भूदेव चौधरी, स०वि०स०	"सिवान जिलान्तर्गत दारोगा प्रसाद राय डिग्री शिक्षा कॉलेज, सिवान, जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की संबद्ध इकाई है । वर्ष-2004 में केन्द्रीय विद्यालय, सिवान के संचालन हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी, सिवान जो केन्द्रीय विद्यालय के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, के आग्रह पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा कॉलेज भवन का कुछ कमरा कुछ दिनों के लिए दिया गया था, लेकिन लगभग 17 वर्षों के बाद भी आजतक केन्द्रीय विद्यालय द्वारा खाली नहीं किया गया है । यू०जी०सी० के आदेशानुसार कॉलेजों को नैक से पंजीकरण कराने, छात्रों की अधिक संख्या होने के कारण कमरों के अभाव में पठन-पाठन की परेशानी एवं प्रशासनिक भवन की कमी हो रही है जबकि सभी आधारभूत संरचना कॉलेज के पास उपलब्ध है । केन्द्रीय विद्यालय द्वारा कॉलेज का उपयोग करने के कारण ही इन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । कॉलेज द्वारा बार-बार लिखित आग्रह के पश्चात् भी जिलाधिकारी, सिवान द्वारा न ही भूमि उपलब्ध करायी गई और न ही अन्यत्र स्थानांतरित किया गया । अतः उपरोक्त समस्या के निदान के लिए जिलाधिकारी, सिवान को आदेशित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/2021- 1363 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/2021- 1363 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

23/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

23.3.21